

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना-15 दिनांक.....

श्रीमती नीतू सिंह, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-1268/11) उप सचिव, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना के विरुद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4930, दिनांक 24.11.2016 द्वारा प्रभारी उप सचिव, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के दायित्व निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता बरतने के आरोपों से आच्छादित आरोप, प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों की गम्भीरता के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती नीतू सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1268/11 को संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्रीमती सिंह का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-08/आरोप-01-23/2016,सा०प्र०...../पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-08/आरोप-01-23/2016,सा०प्र०.1128...../पटना, दिनांक.21.11.17

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना /सचिव, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/श्रीमती नीतू सिंह, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-1268/11) उप सचिव, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना-सह-प्रभारी उप सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-12,14 /चारित्री कोषांग, एवं आई.टी. मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।